



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242092
CG-DL-E-20012023-242092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]
No. 308]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

का.आ. 322(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2767 (अ), तारीख 16 जून, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के कुलगाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444 के कि.मी. 53.600 से कि.मी.62.350 (अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम C / O: जिला कलेक्टर कुलगाम कश्मीर का कार्यालय) डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुलगाम कश्मीर कश्मीर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 जून, 2022 को "डेली आफताब " और तारीख 20 जून, 2022 को "डेली राइजिंग कश्मीर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के कुलगाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444 के कि.मी. 53.600 से कि.मी. 62.350 (अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम C / O: जिला कलेक्टर कुलगाम कश्मीर का कार्यालय) डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुलगाम कश्मीर (कश्मीर कश्मीर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: कुलगाम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुलगाम				
	गांव का नाम: चावलगाम				
1	129	निजी(प्रप्रेअटैरी)	कृषि(ओचाई)	0.0076	शाम लाल और ओआरएस। कब्ज़ा अब्दुल अहद पुत्र इब्राहिम लावे ()
	गांव का नाम: लारू खालसा				
2	253	निजी(प्रप्रेअटैरी)	कृषि(ओचाई)	0.0051	जमीन गनी व ओआरएस के नाम पर। कब्ज़ा कुरशीद आह पुत्र गनी भट ()
	गांव का नाम: पहलु				
3	124	अन्य(शामिलत सेक्शन 4)	कोहल	0.0068	शमिलत हस्व-ए-रसद बा रक्कबी मज़रोवा बुनियादी ()
	गांव का नाम: संगुस				
4	467	निजी(प्रप्रेअटैरी)	कृषि (ओचाई)	0.0126	अब्दुल्ला पुत्र सुभान राथर ()
			कुल	0.0321	

[फा. सं. PCD/LA/444/0001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

S.O. 322(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2767 (E) Dated 16 of June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-444 on the stretch of land from Km. 53.600 to Km. 62.350 (Additional Deputy Commissioner Kulgam C/O: Office of the District Collector Kulgam Kashmir) in the district of KULGAM in the state of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Aftab" and "Daily Rising Kashmir" both dated "19 June 2022 and 20 June 2022" under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-444 in the stretch of land from Km. 53.600 to Km. 62.350 (Additional Deputy Commissioner Kulgam C/O: Office of the District Collector Kulgam Kashmir) in the district of KULGAM in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: KULGAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kulgam					
Village: Chawalgam					
1	129	Private(Proprietary)	Agriculture(Ochard)	0.0076	SHAM LAL & ORS. POSSESSION ABDUL AHAD S/O IBRAHIM LAWAY
Village: Laroo Khalsa					
2	253	Private(Proprietary)	Agriculture(Ochard)	0.0051	LAND IN THE NAME OF GANI & ORS. POSSESSION KURSHEED AH S/O GANI BHAT
Village: Pahlu					
3	124	Common(Shamilat Sec 4)	Kohal	0.0068	SHAMILAT HASB-I-RASD BA RAQBIE MAZROWA BUNIYADI
Village: Sangus					
4	467	Private(Proprietary)	Agriculture(Ochard)	0.0126	ABDULLAH S/O SUBHAN RATHER.
TOTAL				0.0321	

[F. No. PCD/LA/444/0001/3D]

RAJESH GUPTA, Director